संख्या-१३०/2016/2603/52-1-2016-27(एम०एस०डी०पी०)/13-।

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 26 सितम्बर, 2016

विषय- 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद/हापुड़ के राजकीय पालिटेक्निक हिण्डालपुर पिलखुआ के भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त लागतवृद्धि की धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु रू० 1230.00 लाख की इकाई लागत स्वीकृत करते हुए कार्यदायी संस्था- यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, लि० लखनऊ को सिविल कार्यों हेतु 02 किश्तों में रू० 1169.10 लाख अवमुक्त किये गये थे । उक्त लागत में रू० 800.00 लाख सिविल निर्माण कार्यों हेतु प्राविधानित था एवं रू० 369.10 लाख मशीन/उपकरणों हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है ।

2- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा लागत वृद्धि हेतु शासन को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके बारे में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07 मई, 2015 में विचार करते हुए प्रायोजना की सिविल कार्यों हेतु स्वीकृत लागत रू० 1333.97 लाख अनुमोदित की गयी है। अत: उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 1333.97 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1- परियोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

2- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

3- परियोजना पर बाट आउट आईटम पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाय।

4- पुनरीक्षित आंगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोंदन प्राप्त किये

http://sirsanadesh.up.nic.in

बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो 03 माह के अन्दर पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पुनरीक्षित प्रायोजना लागत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

5- शासनादेश संख्या-1125/52-1-2011-2(एम०एस०डी०पी०)/11, दिनांक 19 अप्रैल, 2011 में शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-1398/दस-2016, दिनांक 20.09.2016 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या (1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद / हापुड ।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
11- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)

http://shastiadesh.up.nic.in

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in